उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

संख्या : 3/2019/बी-1-485/दस-2019-15/2003

लखनऊ : दिनाँक : 18 सितम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

आय-व्ययक की विभिन्न अनुदानों में व्यय के अनुमानों को निर्धारित संगत मानक मदों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, आय-व्ययक को और अधिक सूचनाप्रद बनाने तथा व्यय को अधिकाधिक युक्तिसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने की दृष्टि से निम्नवत् एक नई मानक मद खोले जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

" 60 - भूमि क्रय "

मानक मद "60-भूमि क्रय" के अन्तर्गत योजनाओं / परियोजनाओं के लिये भूमि के अधिग्रहण एवं भूमि के क्रय पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया जायेगा ।

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव, वित्त

एवं वित्त आयुक्त ।

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव

एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

संखया : 3/2019/बी-1-485(1)/दस-2019-15/2003, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

(6) समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आलोक दीक्षित

विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in